Toppersnotes
Unleash the topper in you

संगणक

(COMPUTOR)

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर

भाग – 2

अर्थशास्त्र एवं राजस्थान आर्थिक समीक्षा

SIERRA INNOVATIONS

COMPUTOR (संगणक)

अर्थशास्त्र एवं राजस्थान आर्थिक समीक्षा

क्र.सं.	अध्याय	पृष्ठ संख्या
1.	भारत में बैंकिंग का इतिहास	1
2.	भारत में बैंकिंग संरचना	6
3.	भारतीय वित्तीय तंत्र	46
4.	भारतीय वित्तीय एवं पूँजी बाजार	49
5.	मौद्रिक एवं साख नीति	56
	अर्थव्यवस्था	
6.	अर्थव्यवस्था	61
7.	अर्थव्यवस्था के क्षेत्र	62
8.	राष्ट्रीय आय	69
9.	मुद्रास्फीति (Inflation)	87
10.	विभिन्न बाजारों के अन्तर्गत कीमत निर्धारण	105
11.	उपभोक्ता की माँग तथा माँग का नियम	114
12.	निर्धनता/गरीबी (Poverty)	137
13.	राजस्थान आर्थिक–समीक्षा 2020–21	143
14.	कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र	145
15.	औद्योगिक विकास	148
16.	आधारभूत संरचना का विकास	149

भारत में बैंकिंग का इतिहास
(HISTORY OF BANKING IN INDIA)

भारत में बैंकिंग प्रणाली के विकास को निम्न छः चरणों में विभाजित किया जा सकता है–

प्रथम अवस्था (First Phase) (सन् 1806 तक)

7वीं शताब्दी में ब्रिटिश शासनकाल के साथ ही भारतीय साहूकारी वित्त व्यवस्था को गम्भीर आघात लगा। इसका मुख्य कारण यह था कि साहूकार अंग्रेजी भाषा एवं ब्रिटिश बैंकिंग प्रणाली से परिचित नहीं थे। अतः इनके स्थान पर धीरे–धीरे भारत में आधुनिक बैंकिंग प्रणाली का विकास होने लगा। 18वीं शताब्दी में ईस्ट इण्डिया कम्पनी (East India Company) ने मुम्बई तथा कोलकाता में कुछ एजेन्सी गृहों (Agency houses) की स्थापना की थी। एजेन्सी गृह आधुनिक बैंकों की भाँति कार्य किया करते थे। इन एजेन्सी ग्रहों का वित्त पोषण ईस्ट इण्डिया कम्पनी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा ही किया जाता था। इन एजेन्सी गृहों का मुख्य कार्य ईस्ट इण्डिया कम्पनी को सैनिक आवश्यकताओं के लिए रुपया उधार देना।

कृषि उपज की बिक्री के लिए ऋण देना, कागजी मुद्रा का निर्गमन करना तथा लोगों से निक्षेप (Deposits) स्वीकार करना था। यूरोपीय बैंकिंग पद्धति पर आधारित भारत का प्रथम बैंक विदेशी पूँजी के सहयोग से एलेक्जेण्डर एण्ड कम्पनी द्वारा बैंक ऑफ हिन्दुस्तान के नाम से 1770 में कोलकाता में स्थापित किया गया था, किन्तु यह बैंक शीघ्र ही असफल हो गया। इस प्रकार 1806 से पूर्व भारत में बैंकों का कार्य इन एजेन्सी गृहों द्वारा ही सम्पन्न किया जाता था।

द्वितीय अवस्था (Second Phase) (सन् 1806 से 1860 तक)

सन् 1806 में बैंक ऑफ बंगाल, सन् 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे तथा 1843 में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना की गई। यद्यपि यह, तीनों बैंक निजी, शेयरहोल्डरों (विशेष रूप से विदेशी व्यक्तियों) के बैंक थे तथापि तीनों बैंकों की शेयर पूँजी में सरकार का भी कुछ हिस्सा था। अतः सरकार इन तीनों बैंकों पर अपना नियन्त्रण रखती थी। इन बैंकों को सरकारी बैंकर के सभी अधिकार प्राप्त थे, किन्तु 1862 के बाद भारत सरकार ने इन बैंकों से नोट जारी करने का अधिकार वापस ले लिया। सरकारी बैंके होने के कारण सरकार द्वारा इनके कार्यों पर कुछ प्रतिबन्ध भी लगाए गए थे। यह बैंक अचल सम्पत्ति के आधार पर ऋण नहीं दे सकते थे तथा इनके द्वारा दिए गए ऋणों–की समयावधि छः महीने से अधिक नहीं हो सकती थी। इन्हें विदेशी बिलों का क्रय–विक्रय करने का अधिकार भी नहीं था। आगे चलकर सन् 1921 में इम तीनों बैंकों को मिलाकर इम्पीरियल बैंक ऑफ इण्डिया (Imperial Bank of India) की स्थापना की गई और जुलाई, 1955 को राष्ट्रीयकरण के उपरान्त इसका नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया रख दिया गया।

तृतीय अवस्था (Third Phase) (1860 से 1913)

भारत सरकार द्वारा सन् 1860 में एक संयुक्त पूँजी कम्पनी अधिनियम पारित किया गया। इसके अन्तर्गत, बैंकों का सीमित देयता (Limited Liablility) के आधार पर गठन किया जा सकता था । इस कानून के फलस्वरूप भारत में संयुक्त पूँजी वाले बैंकों की स्थापना में बहुत सहायता मिली थी। परिणामतः देश में अनेक संयुक्त पूँजी बैंक स्थापित हो गए। उनमें प्रमुख बैंक थे–

इलाहाबाद बैंक (1865), एलाइन्स बैंक ऑफ शिमला (1881), अवध कॉमर्शियल बैंक (1881), पंजाब नेशनल बैंक (1894), पीपुल्स बैंक ऑफ इण्डिया (1901) सीमित देयता के आधार पर 1881 ई. में स्थापित अवध कॉमर्शियल बैंक भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक था। पूर्णरूप से भारतीय देश का पहला बैंक पंजाब नेशनल बैंक था। उन्नीसवीं शताब्दी के अंत तक (सन् 1900 तक) भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में कोई विशेष प्रगति नहीं हो सकी थी, किन्तु 20वीं शताब्दी के प्रारम्भ अर्थातइ 1906 के बाद बैंकिंग का देश में बड़े पैमाने पर विस्तार हुआ। मुख्य रूप से उत्तरी भारत में नए बैंकों का जाल–सा बिछाया गया था।इसका मुख्य कारण

देश में स्वदेशी आन्दोलन का प्रारम्भ किया जाना था। इस आन्दोलन के कारण लोगों ने अंग्रेजी बैंकों का बहिष्कार करके भारतीय बैंकों के साथ व्यवसाय करना आरम्भ कर दिया था इसी अवधि में देश के तत्कालीन चार बड़े–बैंकों ऑफ इण्डिया (1906) बैंक ऑफ बड़ौदा (1908) सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया (1911) एवं बैंक ऑफ मैसूर (1913) की स्थापना की गई और अन्य छोटे बैंकों की संख्या 500 तक पहुँच गई।

चतुर्थ अवस्था–(Fourth Phase) (सन् 1913 से 1939 तक)

1913 से 1917 काल भारत में बैंकिंग संकट (Banking Crisis) का काल माना जाता है। प्रथममहायुद्ध (1914–18) के प्रारम्भ होने के साथ ही, भारतीय बैंकिंग की इस तीव्र वृद्धि काक्रम अवरूद्ध हो गया । सन् 1913 में अनेक भारतीय बैंक असफल हो गयें। भारतीय बैंकों से जनविश्वास समाप्त होने की वजह से जमाकताओं द्वारा अपने निक्षेप निकालने प्रारम्भ कर दिए गए तथा भारतीय मुद्रा बाजार में मुद्रा की बहुत कमी हो गई थी। प्रथम विश्वयुद्ध की समाप्ति के पश्चात् देश में पुनः बैंकिंग विकास की दर तेज हुई। सन्1917 में उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से टाटा औद्योगिक बैंक की स्थापना की गई सन् 1921 में तीनों प्रेसीडेन्सी बैंको को मिलाकर इम्पीरियल बैंक ऑफ इण्डिया की स्थापना की गई। बाद में सन् 1955 में उस बैंक का आंशिक राष्ट्रीकरण कर दिया गयाऔर इसे स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया का नाम दिया गया।

तीसा की विश्वव्यापी महान मंदी ने भी तत्कालीन भारतीय बैंकिंग व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाला, फिर भी विकास का क्रम जारी रहा। सन् 1930 में ही केन्द्रीय बैंकिंग जाँच समिति का गठन किया गया। समिति का सुझाव था कि देश में एक सुदृढ़, सुव्यवस्थित एवं सुसंगठित बैंकिंग व्यवस्था की स्थापना के लिए एक केन्द्रीय बैंक की स्थापना तथा एक व्यापक बैंकिंग अधिनियम बनाने पर बल दिया जाना चाहिए, जिससे कि बैंकों के संगठन, प्रबन्ध, अंकेक्षण तथा समापन के लिए व्यापक व्यवस्था की जा सके। सन् 1934 में रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया एक्ट पारित किया गया तथा अप्रैल 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया, किन्तु बैंकिंग नियमन अधिनियम कार्यान्वित नहीं किया जा सका।

पंचम अवस्था (Fifth Phase) (सन् 1939 से 1946 तक)

यह अवधि बैंकिंग विस्तार की अवधि कही जा सकती है द्वितीय महायुद्ध के परिणामस्वरूप उत्पन्न मुद्रा प्रसार के कारण जन सामान्य की मौद्रिक आय में वृद्धि हो गई फलतः सभी बैंकों के निक्षेप (Deposits) बढ़ गए। युद्धकाल में बढ़ती हुई आर्थिक समृद्धि का लाभ उठाने के लिए पुराने बैंकों ने नई–नई शाखाओं की स्थापना की तथा नए–नए बैंकों की भी स्थापना की गई। भारत यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक तथा हिन्दुस्तान कॉमर्शियल बैंक आदि की स्थापना भी इसी काल में हुई थी। युद्धकाल में बैंकों की निवेश नीति (Investment policy) में कुछ आधास्मूलक परिवर्तन हुए थे। बैंकों ने सरकारी प्रतिभूतियों में पहले की अपेक्षा अधिक घन लगाना प्रारम्भ कर दिया था। युद्ध के पूर्व भारत के अनुसूचित बैंक (Scheduled Banks) अपने निवेश योग्य धन का लगभग 54% सरकारी प्रतिभूतियों में लगाया करते थे, परन्तु युद्धकाल में उन्होंने इसे बढ़ाकर 61% कर दिया था। इसी प्रकार भारतीय बैंकों ने पहले की अपेक्षा अधिक नकद–कोष (Cash Reserves) रखने प्रारम्भ कर दिए थे। युद्ध के पूर्व वे अपने निक्षेपों का लगभग प्रतिशत नकद–कोष के रूप में रखा करते थे, परन्तु युद्धकाल में उन्होंने इसे बढ़ाकर 25% कर दिया था।

षष्ठम् अवस्था (Sixth Phase) (सन् 1947 से अब तक)

भारत सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए 1 जनवरी, 1949 को उसका राष्ट्रीयरण कर दिया तथा भारतीय बैंकिंग का समन्वित नियमन करने के लिए मार्च 949 में भारतीय बैंकिंग अधिनियम पारित किया गया। इस कानून के अन्तर्गत अनुसूचित बैंकों का निरीक्षण करने के लिए रिजर्व बैंक को अधिक व्यापक अधिकार प्रदान किए गए। देश के ग्रामीण, क्षेत्र में बैंकिंग सुविधाओं का विकास करने के लिए इम्पीरियल बैंक ऑफ इण्डिया का नाम 1 जुलाई, 1955 को आंशिक राष्ट्रीयरण कर दिया गया तथा इसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया कर दिया गया। इसके साथ अन्य 8 (जो वर्तमान में 5

है।) बैंकों को इसके सहायक बैंक के रूप में बदल दिया गया इसका नाम जिन्हें 'स्टेट बैंक समूह' के बैंक कहा जाता है।

ये बैंक निम्नलिखित हैं–

1. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड–जयपुर (पहले स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर तथा स्टेट बैंक ऑफ जयपुर दोनों अलग–अलग थे। दोनों के कार्य क्षेत्रों में एकरूपता होने के कारण इन्हें स्टेट बैंक ऑफ–बीकानेर एण्ड जयपुर में बदलदिया गया।)
2. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
3. स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर
4. स्टेट बैंक ऑफ मैसूर
5. स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्
6. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला
7. स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर

उपर्युक्त सात बैंको में से स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र का जुलाई 2008 में तथा स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर का जून 2009 में SBI में विलय करने के निर्णय के फलस्वरूप ैठप् समूह में पाँच बैंक ही रह जाएँगे।

बैंकों को और अधिक समाजोपयोगी बनाने के उद्देश्य से, देश के ऐसे 14 बड़े व्यावसायिक बैंकों का 19 जुलाई, 1969 को राष्ट्रीकरण कर दिया गया, जिनकी जमाएँ 50 करोड़ रूपए से अधिक थीं। ये बैंक थे–
(1) सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, (2) बैंक ऑफ इण्डिया, (3) पंजाब नेशनल बैंक, (4) केनरा बैंक, (5) यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक, (6) सिंडीकेट बैंक, (7) बैंक ऑफ बड़ौदा, (8) यूनाइटेट बैंक ऑफ इण्डिया, (9) यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, (10) देना बैंक, (11) इलाहाबाद बैंक, (12) इण्डियन बैंक, (13) इण्डियन ओवरसीज बैंक, (14) बैंक ऑफ महाराष्ट्र।

एक दशक पश्चात् 5 अप्रैल, 1980 को पुनः 6 उन निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिनकी जमाएँ 200 करोड़ रूपए से अधिक थीं।

ये बैंक निम्नलिखित थे –
(1) आन्ध्रा बैंक, (2) पंजाब एण्ड सिंध बैंक, (3) न्यू बैंक ऑफ इण्डिया, (4) विजया बैंक, (5) कॉर्पोरेशन बैंक, (5)ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स।

4 सितम्बर, 1993 को सरकार ने न्यू बैंक ऑफ इण्डिया का पंजाब नेशनल बैंक में विलय कर दिया। इससे राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 20 से घटाकर 19 रह गई।

चरण	स्थापित बैंक	वर्ष
प्रथम चरण	बैंक ऑफ हिन्दुस्तान	1770
द्वितीय चरण	बैंक ऑफ बंगाल	1806
	बैंक ऑफ बॉम्बे	1840
	बैंक ऑफ मद्रास	1843
तृतीय चरण	इलाहाबाद बैंक	1865
	एलाइंस बैंक ऑफ शिमला	1881
	अवध कॉमर्शियल बैंक	1881
	पंजाब नेशनल बैंक	1894
	बैंक ऑफ इंडिया	1906

	बैंक ऑफ बडौदा	1908
	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	1911
	बैंक ऑफ मैसूर	1913
चतुर्थ चरण	इम्पीरियल बैंक	1921
	भारतीय रिजर्व बैंक	1935
पांचवा चरण	यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक	
	हिन्दुस्तान कॉमर्शियल बैंक	
शश्टम चरण	भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण भारतीय स्टेट बैंक	1 जनवरी, 1949 1955
	भारतीय औद्योगिक बैंक	1964
सप्तम चरण	आईसीआईसीआई, एचडीएफसी,एक्सिस, बैंक आदि ।	

भारतीय वाणिज्यिक बैंक (Commercial Bank of India)

भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1956 के पंजीकृत बैंकों को वाणिज्यिक बैंक की संज्ञा दी गई। इन बैंकों को भारतीय बैंक विनियम अधिनियम, 1949 द्वारा शाखित किया जाता है। वाणिज्यिक बैंकों से आशय उन बैंकों से है जो देश की औद्योगिक एवं व्यापारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अल्पकालीन वित्त उपलब्ध कराते हैं।

वाणिज्यिक बैंकों का वर्गीकरण (Classification Of Commericial Banks)

भारत में वाणिज्यिक बैंकों का वर्गीकरण संवैधानिक तथा स्वामित्व के आधार पर किया गया है। संवैधानिक आधार पर वाणिज्यिक बैंकों को अनुसूचित बैंक तथा गैर–अनुसूचित बैंकों में विभाजित किया जाता है।

अनुसूचित बैंक (Scheduled Bank)

ऐसे बैंकों को अनुसूचित बैंक की संज्ञा दी जाती है जिसको भारतीय रिजर्व बैंक की दूसरी अनुसूची में सम्मिलित किया गया। अनुसूचित बैंक का दर्जा प्राप्त करने के लिए बैंको को निम्नवत शर्तें पूरी करनी होती हैं–

- बैंक की प्रदत्त पूँजी तथा संचित राशि 5 लाख रूपए से कम नहीं होनी चाहिए।
- भारतीय रिजर्व बैंक इस बात से पूरी तरह संतुष्ट हो कि इन बैंकों द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं किया जाएगा जिससे जमाकर्त्ताओं का अहित हो।
- यह एक संयुक्त पूँजी कम्पनी होनी चाहिए न कि एकल व्यापारी अथवासाझा फर्म।
  इसके अतिरिक्त इन बैंकों को अपनी जमा का एक निश्चित अंश भारतीयरिजर्व बैंक के पास नकद रूप से रखना पड़ता है तथा बैंकिंग अधिनियम, 1949 के अन्तर्गत भारतीय रिजर्व बैंक के पास समय–समय पर विवरण–पत्र भी भेजना पड़ता है।

अनुसूचित बैंक को निम्नलिखित सुविधाएँ प्राप्त हो जाती हैं–
(1) वह बैंक रिजर्व बैंक से बैंक दर पर ऋण प्राप्त करने के लिए अधिकृत हो जाता है।
(2) प्रत्येक अनुसूचित बैंक स्वतः ही समाशोधन गृह की सदस्यता प्राप्त कर लेता है।

(3) ऐसे बैंकों को रिजर्व बैंक प्रथम श्रेणी के विनियम पत्रों की पुनर्कटौती की सुविधा भी प्रदान करता है, किन्तु इन सुविधाओं के बदले अनुसूचित बैंकोंको भारतीय रिजर्व बैंक के पास उसके (RBI) द्वारा निर्धारित औसतदैनिक नकद कोष रखना पड़ता है तथा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 एवं बैंकिंग नियमन अधिनियम, 1949 के विभिन्न प्रावधानों के अन्तर्गत आवर्ती विवरण प्रस्तुत करना पड़ता है।

गैर–अनुसूचित बैंक (Non-Scheduled Bank)

गैर–अनुसूचित बैंक से आशय ऐसे बैंकों से है जिसे भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में सम्मिलित किया गया है परन्तु यह बैंक वैधानिक नकद आरक्षण आवश्यकताओं के अधीन है और इनको निश्चित राशि भारतीय रिजर्व बैंक के पास न रखकर अपने पास रखने का अधिकार है। गैर–अनुसूचित बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक से रियायती प्रेषण तथा उधार लेने की सुविधा नहीं प्राप्त होती है।

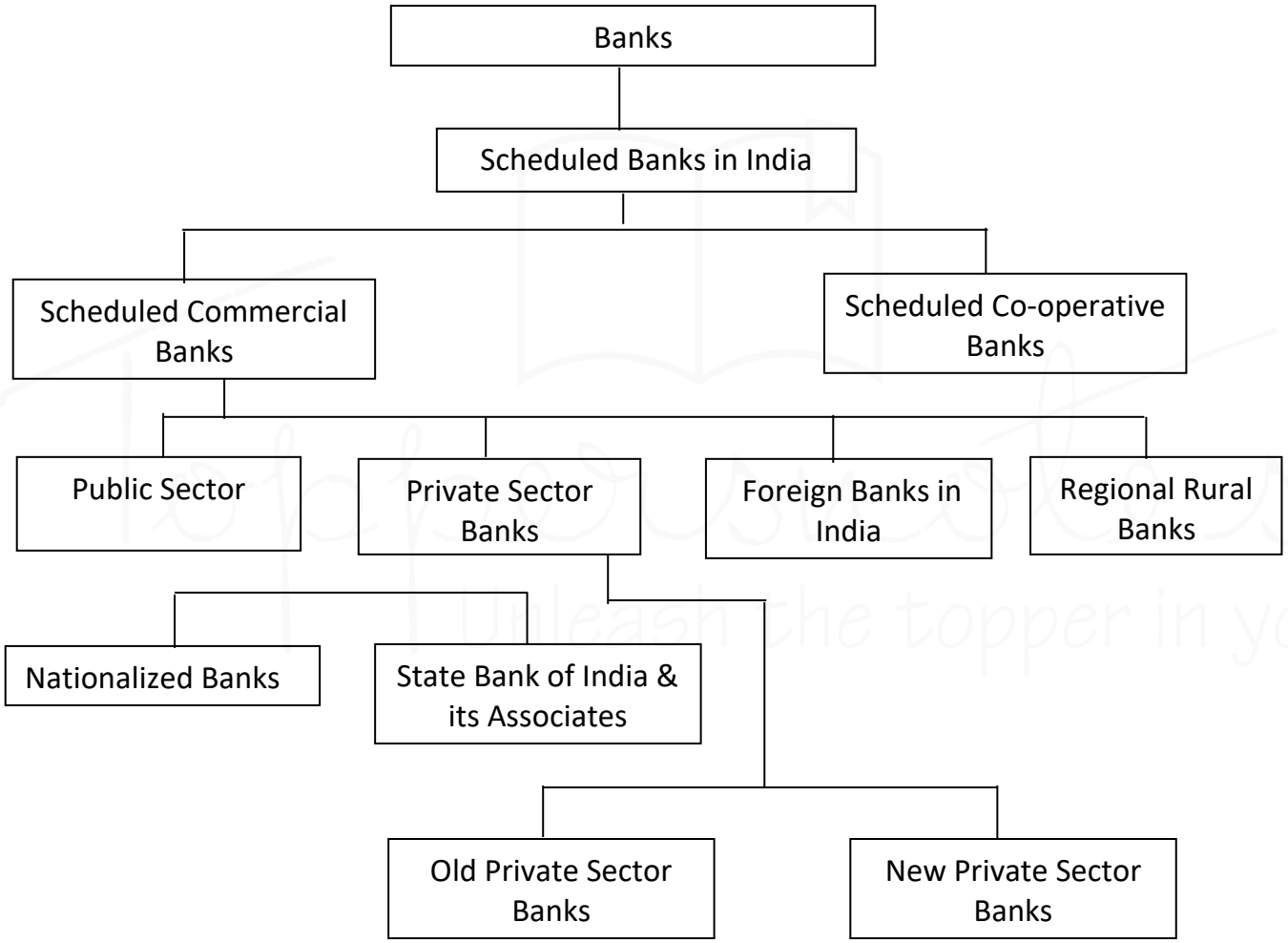

अर्थव्यवस्था

- प्राचीन समय में अर्थ शब्द का अभिप्राय धन से लिया जाता था।
- किसी देश में होने वाली विभिन्न आर्थिक गतिविधियों को संचालित करने के लिए अपनायी गई व्यवस्था, नियम, नीतियाँ उस देश की अर्थव्यवस्था कहलाती है।

अर्थव्यवस्था तीन प्रकार की होती है –

1. समाजवादी अर्थव्यवस्था

- यदि अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी साधनों और सम्पत्तियों पर सार्वजनिक क्षेत्र या सरकार का नियंत्रण हो तो वह समाजवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है।
- सरकार का उद्देष्य लाभ कमाना ना होकर समाज कल्याण होता है।
- इस अर्थव्यवस्था में आर्थिक समानता पायी जाती है वस्तु और सेवाओं का मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है।

2. पूंजीवादी अर्थव्यवस्था

- इस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों और सम्पत्तियों पर निजी व्यक्तियों/निजी क्षेत्रों का नियत्रंण होता है।
- इस अर्थव्यवस्था में व्यवसाय का उद्देश्य लाभ कमाना होता है।
- आर्थिक विषमता पायी जाती है।
- वस्तुओं व सेवाओं की कीमतें मांग व पूर्ति के द्वारा निर्धारित की जाती है। (बाजार आधारित मूल्य निर्धारण)

3. मिश्रित अर्थव्यवस्था

- इस अर्थव्यवस्था में समाजवाद व पूंजीवाद दोनों के लक्षण पाये जाते है अर्थात उत्पादन के साधनों और सम्पत्तियों पर सरकार व निजी क्षेत्र दोनों को अधिकार होता है।
- सरकार द्वारा सकारात्मक भूमिका निभाई जाती है।
- वस्तुओं की कीमतें बाजार आधारित होती है। लेकिन सरकार द्वारा विशेष परिस्थितियों में मूल्य निर्धारण किया जा सकता है।
- भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित प्रकार की अर्थव्यवस्था है।

उत्पादन के कारक :– उत्पादन के लिए चार कारक महत्वपूर्ण माने जाते है।

क्र.सं.	उत्पादन के कारक	लागत
1.	भूमि	किराया
2.	पूंजी	ब्याज
3.	श्रम	मजदूरी
4.	उद्यम	लाभ

कारक लागत

- किराया + ब्याज + मजदूरी + लाभ
- बाजार मूल्य/उपभोक्ता मूल्य = कारक लागत + Tax – Subsidy

अर्थव्यवस्था के क्षेत्र

अर्थव्यवस्था के कुल पाँच क्षेत्र माने जाते है लेकिन अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष रूप से योगदान देने वाले क्षेत्र मात्र तीन ही होते है।

1. प्राथमिक क्षेत्र

- इस क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों की सहायता से आर्थिक कार्य किये जाते है सामान्यतः इस क्षेत्र में द्वितीयक क्षेत्र के लिए कच्चा माल तैयार किया जाता है। जैसे– कृषि, वन, मछली पालन आदि
- इसे कृषि क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है।

2. द्वितीयक क्षेत्र

- निर्माण, विनिर्माण, उत्पादन आदि द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधियाँ मानी जाती है।
- इसे उद्योग क्षेत्र कहा जाता है।
- खनन, उत्खनन, बिजली उत्पादन आदि भारत में द्वितीयक क्षेत्र में लिये जाते है।

3. तृतीयक क्षेत्र

- इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है।
- इस क्षेत्र में केवल सेवाएँ शामिल की जाती है। जैसे– डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, सीए आदि।

4. चतुर्थक क्षेत्र

- इस क्षेत्र में बौद्धिक सेवाएं षामिल की जाती है। जैसे– सांस्कृतिक सेवाएं, उच्च षिक्षा, अनुसंधान आदि।

5. पंचम क्षेत्र

- उच्च स्तरीय राजनैतिक और आर्थिक निर्णय संबंधित सेवाएं इस क्षेत्र में शामिल की जाती है। जैसे– मंत्री, प्रधानमंत्री, कम्पनी के CEO आदि।

क्षेत्र	GDP में योगदान	रोजगार में योगदान
कृषि	17%	50%
उद्योग	25%	25%
सेवा	58%	100%

उद्योग क्षेत्र

- आजादी के बाद भारत के विकास में उद्योग क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।
- भारत की राष्ट्रीय आय का लगभग 25% भाग उद्योग क्षेत्र से आता है।
- भारत की जनसंख्या का लगभग 25% भाग रोजगार के लिए उद्योगों पर निर्भर है।
- भारत के निर्यातों में उद्योग क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है।
- उद्योगों को निम्न श्रेणी में बांटा जाता है–
  1. **कुटीर उद्योग** :– यह उद्योग घरेलू स्तर पर चलाये जाते है। इनमें पूंजी निवेष नाममात्र का होता है।
  2. **ग्रामीण उद्योग** :– यह उद्योग 10,000 से कम जनसंख्या वाले क्षेत्र में लगाये जाते है। इसमें प्रति व्यक्ति पूंजी निवेश 75,000 रू. तक होता है।
  3. **सूक्ष्म उद्योग** :– ऐसे उद्योग जिनका वार्षिक टर्नओवर 5 करोड़ से अधिक नहीं हो।

4. **लघु उद्योग** :– वार्षिक टर्नओवर 5 करोड़ से अधिक लेकिन 75 करोड़ से ऊपर नहीं हो।
5. **मध्यम उद्योग** :– ऐसे उद्योग जिनका वार्षिक टर्नओवर 75 करोड़ से अधिक हो लेकिन 250 करोड़ से अधिक नहीं हो।
6. **वृहत् उद्योग** :– ऐसे उद्योग जिनका वार्षिक टर्नओवर 250 करोड़ से अधिक हो।

- सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगों को MSME के नाम से जाना जाता है।

भारत की औद्योगिक नीतियाँ

1. पहली औद्योगिक नीति

- यह नीति 1948 में जारी की गई।
- यह नीति डॉ. ष्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा जारी की गई।
- इस नीति में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया।
- उद्योगों को चार श्रेणी में बाँटा गया है–
  1. **A श्रेणी** :– इस श्रेणी में संवेदनशील उद्योगों को रखा गया जैसे– परमाणु, रेलवे, हथियार आदि। इस श्रेणी में उद्योग लगाने का अधिकार केवल सार्वजनिक क्षेत्र को था।
  2. **B श्रेणी** :– महत्वपूर्ण उद्योगों को इस श्रेणी में रखा गया है जैसे– कोयला, स्टील, खनिज आदि। इस श्रेणी में नया उद्योग लगाने की अनुमति केवल सार्वजनिक क्षेत्र को थी। अर्थात पुराने निजी उद्योगों को बंद नहीं किया गया।
  3. **C श्रेणी** :– इस श्रेणी में निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों को उद्योग लगाने की अनुमति थी।
  4. **D श्रेणी** :– इस श्रेणी के उद्योग पूर्णतः निजी क्षेत्र के लिए आरक्षित थे।

2. दूसरी औद्योगिक नीति

- यह नीति 1956 में जारी की गई।
- यह नीति पी. सी. महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी।
- इस नीति द्वारा भी मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया।
- इस नीति में उद्योगों को तीन श्रेणी में बांटा गया–
  1. **A श्रेणी** :– इस श्रेणी में सरकार का सम्पूर्ण एकाधिकार रखा गया। इस श्रेणी में 17 उद्योग रखे गये।
  2. **B श्रेणी** :– इस श्रेणी में 13 उद्योग रखे गये इस श्रेणी में सार्वजनिक क्षेत्र व निजी क्षेत्र दोनों को उद्योग लगाने की अनुमति थी लेकिन निजी क्षेत्र के लाइसेंस को अनिवार्य बनाया गया।
  3. **C श्रेणी** :– इस श्रेणी के उद्योग केवल निजी क्षेत्र के लिए आरक्षित थे लेकिन लाइसेंस अनिवार्य था।
- **आलोचना**
  1. इस नीति के कारण सार्वजनिक क्षेत्र एक मात्र रोजगार प्रदाता और उत्पादक बन गया।
  2. उत्पादों की गुणवत्ता में भारी गिरावट आयी।
  3. कमजोर प्रबंध के कारण सार्वजनिक क्षेत्र को हानि हुई।
  4. लाइसेंस अनिवार्यता के कारण भ्रष्टाचार में वृद्धि हुई।
  5. इसी अवधि में भारत में MRTP Act लागू किया गया, जिससे निजी क्षेत्र ओर अधिक सीमित हो गया।

     MRTP = Monopolistic – Restrictive Trade Practices Act
- इस नीति के दुष्प्रभाव के कारण तीसरी नीति लाई गयी।

3. तीसरी औद्योगिक नीति (1991)

- इसे डॉ. मनमोहन सिंह द्वारा जारी किया गया।
- सरकार द्वारा केवल तीन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के लिए रखे गये।
  (1) परमाणु ऊर्जा (2) परमाणु खनिज (3) रेलवे
- शेष सभी उद्योग निजी क्षेत्र के लिए खोल दिये गये। केवल संवेदनशील उद्योगों के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता रखी गयी। उदा.– सिगरेट, बीड़ी, तम्बाकू, एल्कोहल, विस्फोटक आदि।
- MRTP अधिनियम को समाप्त करके भारतीय प्रतिस्पर्धा लागू की गई।
- भारत में विदेशी निवेश की अनुमति दी गई।
- भारत में LPG सुधारों को अपनाया गया।
- विद्यमान सार्वजनिक उद्योगों में निजीकरण के लिए विनिवेष को अपनाया गया।

विनिवेश

- सरकार द्वारा किसी सार्वजनिक कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बेचना या अपने समता अंशो को बेचना विनिवेश कहलाता है।
- सामान्यतः निजीकरण को बढावा देने के लिए विनिवेश किया जाता है।
- विनिवेश से सरकारी सम्पत्तियों से कमी आती है।
- विनिवेश के कारण सरकार को गैर पूंजीगत प्राप्ति होती है।

विनिवेश दो प्रकार को होता है –

1. सांकेतिक विनिवेश

- यदि विनिवेश के बाद भी सरकार का बहुमत/प्रभुत्व बना रहे तो ऐसा विनिवेश सांकेतिक विनिवेश कहलाता है।
- अर्थात इस विनिवेश में अधिकतम 49: षेयर बेचे जाते है।

2. रणनीतिक विनिवेश

- यदि विनिवेश के बाद सरकार का बहुमत समाप्त हो जाये तो ऐसा विनिवेश रणनीतिक विनिवेश कहलाता है।
- अर्थात इस विनिवेश में सरकार की भागीदारी 50% से कम रह जाती है।
- कम से कम 51% शेयर बेचे जाते है।

- भारत में विनिवेश योग्य कम्पनियों की पहचान और अनुशंसा DIPAM द्वारा की जाती है ।
  DIPAM = Department of Investment and Public Asset Management

- यह वित्त मंत्रालय के अन्तर्गत कार्य करता है।

विनिवेश के लाभ/आलोचना

क्र.सं.	आलोचना	लाभ
1.	सरकारी परिसम्पत्तियों में कमी आती है।	सरकारी कम्पनियों की दक्षता बढेगी व जबावदेही भी बढेगी।
2.	लाभ और लाभांश के रूप में सरकार को कम आय होगी।	बाजार में प्रतिस्पर्धा बढेगी।
3.	बाजार में सरकारी हस्तक्षेप कम होगा।	इन कम्पनियों का घाटा सरकार को वहन नहीं करना पडेगा।
4.	निजी क्षेत्र द्वारा उपभोक्ताओं का शोषण	पूँजी बाजार का विस्तार होगा।
5.	सरकारी क्षेत्र के रोजगार में कमी आयेगी	बाजार में सरकारी हस्तक्षेप कम होगा इससे बाजार दक्षता बढेगी।
6.		सरकार द्वारा नियामक की भूमिका निभायी जायेगी।

कृषि क्षेत्र

- ऐतिहासिक रूप से भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है।
- आजादी के बाद उद्योग और सेवा क्षेत्र में अत्यधिक तेजी से विकास हुआ जबकि तुलनात्मक रूप से कृषि में उतनी तीव्रता से विकास नहीं हो पाया।
- कृषि उत्पादन में लगातार वृद्धि होने के बाद भी राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान कम हुआ।
- वर्तमान में राष्ट्रीय आय का लगभग 16 से 17% कृषि क्षेत्र से आता है जबकि आज भी भारत की आधी से अधिक आबादी रोजगार के लिए कृषि पर आधारित है।
- भारत गेंहू, चावल, चाय का निर्यातक देश है जबकि दाल और तिलहन के लिए भारत आज भी आयात पर निर्भर है।

भारत में कृषि क्षेत्र की समस्याएँ

1. कृषि भूमि का आकार

- लगातार बढती जनसंख्या और भूमि के विभाजन के कारण जमीनों का आकार लगातार घट रहा है।
- 86% से अधिक किसान लघू (1 से 2 हेक्टेयर) व सीमान्त (1 से कम हेक्टेयर) श्रेणी में आते है।
- छोटे आकार की कृशि भूमि पर पूंजीगत खर्चे करना लाभप्रद नहीं होता।

2. भू–अभिलेखों में अस्पष्टता :– भू–अभिलेखों में अस्पष्टता के कारण कानूनी विवादों की संख्या अत्यधिक है।

3. सिंचाई की समस्या

- भारत में कुल कृषि भूमि का मात्र 35.36% भाग ही सिंचित है।
- कृशि मुख्य रूप से मानसून पर आधारित है।
- कुआ, नलकूप, तालाब व नहर सिंचाई के मुख्य स्रोत है जिनकी अंतनिर्हित समस्याएँ है।

4. प्रमाणित बीज का अभाव

- प्रमाणित बीजों की उपलब्धता कम है तथा लागत अत्यधिक है। बीजों के आनुवांशिक गुणों में परिवर्तन से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है।
- अधिकतर किसान पुरानी फसलों को बीज के रूप में प्रयोग करते है। जिससे बीजों की आनुवांशिक रूग्णता (बीमारियाँ) आने वाली फसलों में भी रह जाती है।

5. उर्वरक

- रासायनिक खाद का उपयोग अत्यधिक किया जाता है ।
- नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेषियम के मिश्रण को उर्वरक के रूप में उपयोग में लिया जाता है जिसका आदर्श अनुपात 4 : 2 : 1 है। इस अनुपात का पालन नहीं किया जाता है।
- यूरिया में कालाबाजारी की समस्या है।

6. आधुनिक मषीनों का अभाव :– भारत में आधुनिक मशीनों की उपलब्धता कम है और आयातीत मशीनें भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप नहीं है।

7. वैज्ञानिक अनुसंधान :– कृषि संबंधी अनुसंधान नाममात्र का है। अनुसंधान संस्थान कम है। अधिकतम कृषि वैज्ञानिक कृषि कार्य में संलग्न नहीं है।

8. **खाद्य प्रसंस्करण** :– भारतीय किसानों द्वारा अधिकतम उत्पाद प्राथमिक अवस्था में ही बेच दिया जाता है। जिससे उन्हें खाद्य प्रसंस्करण में होने वाला लाभ नहीं मिल पाता है।

9. **कृषि विपणन**
   - कुछ राज्यों में APMC Act पास किया गया। जिसके अन्तर्गत कृषि उत्पाद निर्धारित मंडियों में पंजीकृत व्यापारियों द्वारा ही क्रय किया जाता है।
   - मंडियों में आधारभूत ढांचा विकसित नहीं है। किसानों को मंडी तक उत्पाद ले जाने में अत्यधिक यातायात की लागत आती है ।
   - व्यापारियों द्वारा समूह बनाकर किसानों को कम मूल्य देने का प्रयास किया जाता है।

10. **कृषि बीमा** :– मात्र 30% कृषि ही बीमित है। बीमा की लागत अत्यधिक है। सभी प्रकार के जोखिम बीमा में शामिल नहीं किये जाते है।
11. **वैज्ञानिक/तकनीकी सलाह का अभाव**
12. **कृषि वित्त की समस्या**

समाधान

1. भूमि सुधार कार्यक्रम लागू किये गये।
2. सहकारी कृषि व सामूहिक कृषि को बढावा दिया गया।
3. संविधा कृषि को बढावा दिया गया।
4. केन्द्र सरकार द्वारा मॉडल लैण्ड लीजिंग एक्ट बनाया गया।
5. खाद्य प्रसंस्करण को बढावा देने के लिए प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना चलाई गयी।
6. प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना लागू की गई। जिसमें 50% भूमि के बीमा का लक्ष्य रखा गया। इस योजना के बीमा प्रीमियम की अधिकतम राषि निर्धारित की गई।
   खरीफ – 2%
   रबी – 1.5%
   बागवानी – 5%
7. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना चलाई गई। इस योजना में प्रत्येक भूमि को पानी और प्रति बूंद अधिक उत्पादन का लक्ष्य रखा गया। इस योजना में सिंचाई की लंबित परियोजनाओं को पूरा करने और सिंचाई के पुराने साधनों को पूनर्जीवित रखने का लक्ष्य रखा गया।
8. किसानों को समर्थित DD किसान चैनल प्रारम्भ किया गया।
9. यूरिया की कालाबाजारी को रोकने के लिए नीम लिपीत यूरिया प्रारम्भ किया गया।
10. कृषि के उपजाऊपन की जांच और संरक्षण के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना लायी गई।
11. किसान क्रेडिट कार्ड योजना प्रारम्भ की गई।
12. वित्तीय समावेशन को बढावा देने के लिए सहकारी समितियों को बढावा दिया गया।
13. कृषि मंडियों को Online Network से जोड़ने के लिए इलेक्ट्रानिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट योजना चलायी गई। (E-NAM)
14. हाट बाजारों को ग्रामीण एग्रीकल्चर मार्केट (GRAM) में बदला गया।

बाजार आधारित मूल्य निर्धारण

1. **मांग का नियम** :– इस नियमानुसार वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों और मांग में नकारात्मक/विपरीत संबंध होता है अर्थात दीर्घकाल में वस्तुओं की कीमत बढने पर उनकी मांग कम हो जाती है और कीमत कम होने पर मांग बढ़ जाती है।
2. **पूर्ति का नियम** :– इस नियमानुसार वस्तुओं की कीमतों और उनकी आपूर्ति में सकारात्मक संबंध होता है अर्थात दीर्घकाल में अधिक मूल्य पर अधिक आपूर्ति और कम मूल्य पर कम आपूर्ति होती है।
   - स्वतंत्र बाजार में मूल्य निर्धारण ऐसे बिन्दु पर होता है जहां उपभोक्ता और विक्रेता दोनों संतुष्ट हों।
   - अल्पकाल में अत्यधिक मांग बढने पर वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती है।
   - इसी प्रकार अल्पकाल में अत्यधिक आपूर्ति होने पर कीमतों में गिरावट आती है।

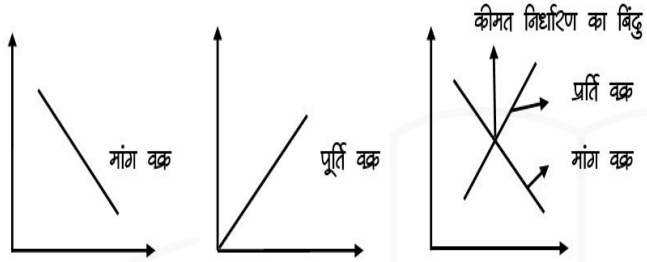

मांग व पूर्ति के नियम के अपवाद

1. मूलभूत आवश्यकताएं– नमक, दवाइयां इत्यादि
2. विलासिता की वस्तुएं– हीरा, सोना इत्यादि
3. सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़ी वस्तुएं – क्लब की सदस्यता, लग्जरी कार आदि उपरोक्त 2,3 को Vebles Goods के नाम से भी जाना जाता है।
4. फैशन की वस्तुएं
5. मादक पदार्थ
6. निम्न गुणवत्ता की वस्तुएं ;ळपिमिद ळववकेद्ध

राष्ट्रीय आय (National Income)

राष्ट्रीय आय का अर्थ

- एक वित्तीय वर्ष में देश में उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं का अंतिम मूल्य उस देश की राष्ट्रीय आय कहलाती है ।

  जैसे – गेहूँ ⟶ 100 ⟶ 150 ⟶ 200 ⟶ 300 ⟶ 350 ⟶ अंतिम मूल्य ⟶ राष्ट्रीय आय
  कीमत मंडी थोक व्यापारी उपभोक्ता

  नोट – राष्ट्रीय आय का संबंध एक वित्तीय वर्ष से है जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है।

  नोट – राष्ट्रीय आय की गणना करते समय दोहरी गणना से बचने हेतु उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम मूल्यों को शामिल किया जाता है। (मध्यवर्ती मूल्यों को शामिल नहीं किया जाता है।)

  नोट – राष्ट्रीय आय की अवधारणा एक प्रवाह (Flow) अवधारणा है, जो चालू वर्श में उत्पादित वस्तुओं के मूल्य को शामिल करती है। (Stock में रखी गई वस्तु को मूल्य की गणना में शामिल नहीं करती है।)

  जैसे – 100 ⟶ 80 ⟶ 20
  वस्तुओं का उत्पादन (वर्ष के दौरान) — विक्रय — स्टॉक

  उदाहरण – राष्ट्रीय आय धारणा है–

  (a) प्रवाह धारणा
  (b) स्टॉक धारणा
  (c) a व b दोनों
  (d) इनमें से कोई नहीं

  उत्तर – a

राष्ट्रीय आय की अवधारणाएँ

- जब राष्ट्रीय आय के अर्थ को अलग–अलग विचारों, धारणाओं व मतों से अध्ययन किया जाता है, तो उन्हें राष्ट्रीय आय की अवधारणाएँ कहा जाता है, जो निम्न है –
- जो निम्न है–

i. सकल घरेलू उत्पाद ⟶ Gross Domestic Product (GDP)
ii. सकल राष्ट्रीय उत्पाद ⟶ Gross National Product (GNP)
iii. शुद्ध घरेलू उत्पाद ⟶ Net Domestic Product (NDP)
iv. शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद ⟶ Net National Product (NNP)
v. प्रति व्यक्ति आय ⟶ Per Capita Income (PCI)
vi. खर्च योग्य व्यक्तिगत आय

सकल घरेलू उत्पाद (GDP)

- एक वित्तीय वर्ष में देश की भौगोलिक सीमा में उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं का अंतिम मूल्य सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है।

  नोटः सकल घरेलू उत्पाद का संबंध देश की भौगोलिक सीमा से हैं, नागरिकों से नहीं।

  जैस – Make in India, FOI

  नोटः सकल घरेलू उत्पाद में 2 मदों को सम्मिलित किया जाता है।

(i) देश के नागरिकों द्वारा देश में उत्पादन

(ii) विदेश के नागरिकों द्वारा देश में उत्पादन

नोट – किसी भी देश के आर्थिक विकास की प्रगति का सूचक सकल घरेलू उत्पाद की दर को माना जाता है।

उदाहरण – देश के आर्थिक विकास का सूचक है –

(a) चालू मूल्यों पर GDP

(b) स्थिर मूल्यों पर GDP

(c) चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय PCI

(d) स्थिर मूल्यों पर PCI

उत्तर – b

नोट – वर्तमान आर्थिक सर्वेक्षण 2019–20 के तहत बताया गया है कि यदि देश की आर्थिक वृद्धि दर प्रतिवर्श 7% रहती है, तो वर्ष 2024 तक भारत को विकसित देशों की श्रेणी में सम्मिलित कर लिया जाएगा।

2020–21 ⟶ GDP ⟶ 7.3%

जनवरी–मार्च, 2021 ⟶ 1.6% वृद्धि

उदाहरण – निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर वित्तीय वर्ष 2018–19 में उत्पादित सकल घरेलू उत्पाद की राशि ज्ञात करें –

(a) भारतीय कम्पनी द्वारा भारत में किया गया उत्पादन = ₹ 10,000/– GDP

(b) विदेशी कम्पनी द्वारा भारत में किया गया उत्पादन = ₹ 20,000/– GDP

(c) भारतीय कम्पनी की विदेशी षाखा से प्राप्त आय = ₹ 3,000/–

(d) भारतीय राजदूतों द्वारा अमेरिका में दी गई सेवाओं से आय = ₹ 30,000/– GDP

(e) अमेरिकी राजदूतों द्वारा भारत में दी गई सेवाओं से आय = ₹ 15,000/–

हल – GDP = 10,000 + 20,000 + 30,000 = ₹ 60,000/–

सकल राष्ट्रीय उत्पाद (GNP)

- एक वित्तीय वर्ष में देश के नागरिकों के द्वारा देश में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम मूल्य, सकल राष्ट्रीय उत्पादन कहलाता है।

  GNP = GDP + X – M

  X = देश के नागरिकों द्वारा विदेशी उत्पादन

  M = विदेशी नागरिकों द्वारा देश में उत्पादन

नोट – सकल राष्ट्रीय उत्पाद का संबंध देश के नागरिकों से है, भौगोलिक सीमा से नहीं।

नोट – सकल राष्ट्रीय उत्पाद में 2 मदों को शामिल किया जाता है –

(i). देश के नागरिकों के द्वारा देश में उत्पादन → GDP
GNP

(ii). देश के नागरिकों के द्वारा विदेश में उत्पादन → GDP ✗
GNP ✓

उदाहरण – वित्तीय वर्ष के समय देश की भौगोलिक सीमा में उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं का अंतिम मूल्य ₹ 80,000/– है देश के नागरिकों के द्वारा विदेश में उत्पादित वस्तुओं का अंतिम मूल्य ₹ 20,000/– तथा विदेशी नागरिकों के द्वारा देश में उत्पादित अंतिम वस्तुओं का अंतिम मूल्य ₹ 1,500/– है तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्य क्या होगा ?

हल –

GDP = 80000 → GNP = 85000

GNP > GDP

NFIA– विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय

5000 धनात्मक

धनात्मक/ऋणात्मक दोनों

देश के नागरिकों द्वारा देश में उत्पादन	विदेश के नागरिकों द्वारा देश में उत्पादन	देश के नागरिकों द्वारा देश में उत्पादन	देश के नागरिको द्वारा विदेश में उत्पादन
6500	15000(M)	65000	(X) 20000

GNP = GDP + X – M
= 80000 + 20000 – 15000
= 85000

उदाहरण – वित्तीय वर्ष 2018–19 में देश की भौगोलिक सीमा में उत्पादित वस्तुओं का अंतिम मूल्य ₹ 50,000/– देश के नागरिकों द्वारा विदेश में उत्पादित वस्तुओं का मूल्य ₹ 10,000/– तथा विदेशी कम्पनियों द्वारा भारत में उत्पादित वस्तुओं का अंतिम मूल्य ₹ 15,000/– है, तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्य क्या होगा ?

हल – GNP = GDP + X – M
= 50,000 + 10,000 – 15,000
= 45,000

GDP = 50,000

देश के नागरिकों द्वारा देश में उत्पादन	विदेश के नागरिकों द्वारा देश में उत्पादन (✗)

नोट – GDP तथा GNP के मध्य अंतर –

(i). GDP = GNP ⟶ X = M बंद अर्थव्यवस्थाओं में (आयात–निर्यात पर प्रतिबंध)

(ii). GDP > GNP ⟶ X < M यदि विदेशों में प्राप्त आय ऋणात्मक हो (NFIA) (विकासशील देशो में)

(iii). GNP > GDP = X > M (यदि विदेशों में प्राप्त शुद्ध आय धनात्मक हो (NFIA) (विकसित देशो में)

(iv). GNP – GDP = विदेशों सें प्राप्त शुद्ध → धनात्मक ⟶ देश का अधिक
ऋणात्मक ⟶ देश का कम

(v). GNP – (GDP + NFIA)
GNP = (GDP ± NFIA)

उदाहरण – वित्तीय वर्ष 2018–19 में देश की भौगोलिक सीमा में उत्पादित वस्तुओं का कुल मूल्य ₹ 20,000/– देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं का अंतिम मूल्य ₹ 17,000/– है, तो विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय क्या होगी ?

हल – GNP = 20,000 GDP = 20,000

GDP > GNP = 3000 (–) ऋणात्मक GNP = 17,000

GNP = 17,000 GDP > GNP (–)

उदाहरण – वित्तीय वर्ष 2018–19 में देश की भौगोलिक सीमा में उत्पादित वस्तुओं का अंतिम मूल्य ₹ 20,000/– है। देश के नागरिकों द्वारा विदेश में उत्पादित वस्तुओं का मूल्य ₹ 5,000/– तथा विदेशी नागरिकों द्वारा देश में उत्पादित वस्तुओं का अंतिम मूल्य ₹ 8,000/– है, तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद की राशि क्या होगी ?

हल – GNP = 20,000 – 8,000 + 5,000 5,000 देश

= 17,000 8,000 विदेश

GDP = 20,000 (–) 3,000

GNP = 17,000

GDP > GNP (विकासशील देशों में)

उदाहरण – वित्तीय वर्ष 2018–19 में देश की भौगोलिक सीमा में उत्पादित वस्तुओं का कम्पनी द्वारा कुल तथा अंतिम मूल्य ₹ 30,000/– है भारतीय कम्पनियों द्वारा विदेश में किया गया उत्पादन ₹ 5,000/– तथा विदेशी कम्पनियों द्वारा भारत में किया गया उत्पादन ₹ 3,000/– है, तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्य क्या होगा ?

हल – GNP = 30,000 + 5,000 – 3,000 5,000 देश

= 32,000 3,000 विदेश

(+) 2,000 विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय

GNP > GDP (विकसित देशों में)

32,000 > 30,000

शुद्ध घरेलू उत्पाद (Net Domestic Product-NDP)

- सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में से पूँजीगत सम्पत्तियों के मूल्यों में होने वाली कमी की राशि को घटा दिया जाता है, तो प्राप्त उत्पाद शुद्ध घरेलू उत्पाद कहलाता है।

NDP = GDP – Depreciation (मूल्यह्रास)

नोट – सकल घरेलू उत्पाद (GDP) तथा शुद्ध घरेलू उत्पाद (NDP) का अंतर मूल्यह्रास कहलाता है।

GDP – NDP = Depreciation GDP > NDP = अंतर– मूल्यह्रास

नोट – शुद्ध राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने हेतु भौतिक सम्पत्तियों के मूल्यों में होने वाली कमी की दर का निर्धारण प्रतिवर्ष उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा किया जाता है।

शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद (Net National Product-NNP)

- जब सकल राष्ट्रीय उत्पाद (GNP) में से पूँजीगत सम्पत्तियों के मूल्यों में होने वाली कमी अर्थात मूल्यह्रास को घटा दिया जाता है, तो प्राप्त उत्पाद शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद (NNP) कहलाता है।

NNP = GNP – Depreciation

NNP = GDP + X – M – Depreciation

नोट – सकल राष्ट्रीय उत्पाद (GNP) तथा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद (NNP) का अंतर मूल्यह्रास कहलाता है।